



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-26.03.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना सारनाथ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 60,000/- रू0 अर्थदण्ड ।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-162/2019 धारा 376(3),504,506 भा0द0वि0 व 5 ढ/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विजय कुमार हरिजन पुत्र सोहन हरिजन निवासी दनियालपुर हरिजन बस्ती थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-26.03.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-07/वि0 न्या0 पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त विजय कुमार हरिजन उपरोक्त को अंतर्गत धारा 504 भा0द0वि0 में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 506 भा0द0वि0 में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड तथा धारा 5 ढ/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।